



6.12.19 प्रवाली फ़ा हूँ। उभय-पक्ष का ^{सहायक कलेक्टर} ~~निर्णय~~ (संगीत)
अप्रार्थी सं. प्रेमसाम के वकील श्री जारुड ने
उपस्थित हो कर लिखित जवाब फ़ा किया रूँ
दोनों पक्षों की वदल सुनी गयी व प्रवाली
में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन/अवलोकन
किया गया।

उभय-पक्ष की वदल, जवाब एवं संलग्न
दस्तावेजों के आधार पर प्रा.प्रीगण के पक्ष में व
अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस हेतु
से जारी की जाती है कि :-

- 1) अप्रार्थीगण, प्रार्थी के एक-दिसस की भूमि (जमाबन्दी
रेकार्ड के आधार पर) व सामलाती खोल ^{खोल} के ख.न.
447 में राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति ^{बनाये} ~~रखे~~ ^{रखे} ~~रखे~~ ^{रखे} किसी
प्रकार का निर्माण या कृषि भूमि को खुद-बुद
नहीं करेंगे।


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी हुस

(२) अप्रार्थगण, प्रार्थगण के एक - हिस्से की
कृषि भूमि (जमाबंदी रेकार्ड अनुसार)
भूमि की विधान, भूमि का अन्य एस्तारण
नहीं करेगा।

(३) उक्त अस्थयी निषेधाज्ञा, मूल वाद के
निस्तारण तक प्रभावी रहेगा।

प्रार्थना - पर फौजदारी नम्बर है
मूल वाद के संलग्न है, नम्बर से कल
होगे।


सहायक कलेक्टर
बीडवाता (नागौर)

